भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1182
बुधवार, 13 फरवरी, 2019/24 माघ, 1940 (शक)

स्नातकों और स्नातकोत्तरों में बढ़ती बेरोजगारी

1182. श्री अहमद हसनः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री धारकों में बेरोजगारी बढ़ गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) विगत चार वर्षों से, देश में बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) देश में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री धरकों के लिए बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार-बेरोजगारी पर आयोजित किए गए वार्षिक श्रम बल सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, देश में सामान्य प्रमुख स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार 18-29 वर्ष आयु समूह में स्नातक एवं उससे अधिक अर्हता वाले अनुमानित बेरोजगार व्यक्तियों से संबंधित तीन तुलनात्मक वर्षों, जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, नीचे तालिका में दिए गए हैं।

वर्ष	बेरोजगार स्नातक एवं उससे अधिक (% में)
2012-13	16.1
2013-14	15.6
2015-16	18.4

स्नातकोत्तरों हेतु आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य बनाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए गतिशील, दक्ष एवं अनुक्रियाशील ढंग से योग्यता-अनुरूप रोजगार हेतु एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है। एनसीएस परियोजना में रोजगार सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, एनसीएस परियोजना के पास रोजगार कार्यालयो को एनसीएस के साथ आपस में जोड़ने का एक घटक है तथा रोजगार कार्यालयों में अवसंरचना के उन्नयन हेतु राज्यों को आंशिक वित्तपोषण प्रदान करता है। पोर्टल रोजगार मेलों के आयोजन को भी सुकर बनाता है जहां नियोक्ता तथा रोजगार चाहने वाले दोनों सीधे ही संपर्क कर सकते हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार के सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु तीन वर्षों के लिए ईपीएफ एवं ईपीएस के नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है।

सरकार देश में औद्योगिक विकास, पूंजी निर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाती रही है। मेक इन इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया एवं स्टार्ट-अप भारत जैसी योजनाएं आरंभ की गई है।

*****